बिहार सरकार
समाहरणालय, सिवान
(जिला बाल संरक्षण इकाई)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या –जि0बा0सं0इ0 / सं0सं0–41–01 / 2014 311 सिवान, दिनांक 17/12/15

1. समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक –10 / आई0सी0पी0एस0 विविध–01 / 2015–2246, दिनांक 02.12.2015 के आलोक में सिवान जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है –

प्रखण्ड प्रमुख	अध्यक्ष
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / ग्रामीण विकास पदा0	सह–अध्यक्ष
प्रखण्ड उप प्रमुख	उपाध्यक्ष
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	संयोजक / सदस्य–सचिव
जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रखण्ड के सभी जिला परिषद् सदस्य	सदस्य
प्रखण्ड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया	सदस्य
सभी पंचायत समिति सदस्य	सदस्य
प्रखण्ड मुख्यालय स्थित थाना के थानाध्यक्ष	सदस्य
प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	सदस्य

2. यह अधिसूचना जारी होने के एक माह के भीतर इसकी बैठक आयोजित की जाएगी एवं समाज कल्याण विभाग के उपरोक्त संकल्प में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप समिति द्वारा इसके अन्य सदस्यों का चयन किया जाएगा।
3. समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मानव व्यापार की रोकथाम एवं बाल संरक्षण, बाल कल्याण, आदि के क्षेत्र में काम करने वाले किसी दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि का चयन कर उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
4. यह समिति समाज कल्याण विभाग के उपरोक्त संकल्प में दिए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए नियमित रूप से इसकी बैठकें आयोजित करेगी।
5. प्रखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की पहली बैठक में जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य को, आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है, जो प्रखण्ड स्तरीय समिति के सदस्यो को समेकित बाल संरक्षण योजना की विस्तृत जानकारी देंगे। इसके लिए सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सिवान से सम्पर्क किया जा सकता है।
6. समिति के अन्य चयनित सदस्यों को समाज कल्याण विभाग के उपरोक्त संकल्प में दिए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप समिति के निर्णय द्वारा कभी भी हटाया जा सकेगा।
7. समाज कल्याण विभाग के उपरोक्त संकल्प में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रखण्ड के सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसकी प्रतिलिपि जिला बाल संरक्षण समिति को भेजी जाएगी। पंचायत स्तरीय समिति के गठन के लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से प्रयास करेंगे।